

काशीराम अहिरवारआवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासनअनावेदक

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम-1963

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि-

1- यह कि, आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 63/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 02.09.13 के पालनार्थ संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने बावजूद इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसे प्रस्तुत करने में बिलंब हो गया है।

2- यह कि, आवेदक को अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 02.09.13 के पारित हो जाने के पश्चात् यह आशा थी कि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो जायेगा, परन्तु आदेश में टाईपिंग की त्रुटि के कारण अभी तक आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं हो सका है। इसीलिये आवेदक को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करनें में विलंब हो गया है। इसलिये आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ बिलंब माफी योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रस्तुत निगरानी समय सीमा में मानकर गुणदोषों पर निराकरण करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

इति दिनांक 17/03/2016

आवेदक

स्थान—ग्वालियर

काशीराम अहिरवार

द्वारा अभिभाषक

 रजनी वाशिष्ठ शर्मा (एडवोकेट)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 944-दो/2016 निगरानी

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता.
17-3-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 2-9-2013 का तहसीलदार पलेरा द्वारा पालन न करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
2/	<p>प्रकरण का सारोऽश यह है कि तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 17 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2003 से आवेदक के हित में मौजा लहरबुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/1 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 1.200 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की एंव पटवारी अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये गये, परन्तु हलका पटवारी ने शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया, जिसके कारण आवेदक ने अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार के आदेश का अमल कराने की प्रार्थना की। इस आवेदन पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 63/2012-13 बी - 121 पंजीबद्ध किया तथा तहसीलदार के प्रकरण की जाँच कर आदेश दिनांक 2-9-2013 पारित किया एंव उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार पलेरा ने अपर कलेक्टर के उक्तादेश का पालन नहीं कराया, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा</p>	

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 63/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 2-9-2013 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक के हित में तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 17 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2003 से मौजा लहरबुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/1 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 1.200 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की है जिसका अमल अभिलेख में नहीं किया गया है एंव कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 63/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 2-9-2013 से उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं इसके बाद भी तहसीलदार पलेरा ने उक्तादेश का अमल नहीं कराया है जो व्यायहित में उचित नहीं माना जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 63/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 2-9-2013 अनुसार मौजा लहरबुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/1 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 1.200 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज कराया जावे।



सदस्य